

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 42, दिनांक 21.01.09 में क्रम संख्या 2, 3, 10, 11, 26 पर उल्लेखित चिकित्सकों के स्थान पर निम्न चिकित्सकों को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 05.02.09 से 19.02.09 तक Foundation Course हेतु मनोनित किया जाता है :-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदस्थापन स्थान |
|---------|--------------------------------|---|
| 1. | डा० पंकज गांधी, चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र, बागीडोरा (बांसवाडा) |
| 2. | डा० ममता बाछिया, चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, काठूणडा (चित्तोडगढ) |
| 3. | डा० अजय कुमार गर्ग, चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, सिसोदा (डुंगरपुर) |
| 4. | डा० मनीष चौहान, चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, दलोट (प्रतापगढ) |
| 5. | डा० रविन्द्र कुमार गोयल, चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, इटाली मवाली (उदयपुर) |

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 04.02.09 को सायं निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें। अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक: पं.(6)ट्रेनिंग(पीएल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.6.07 के अनुसरण में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनित प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर दूसरे चिकित्सक को मनोनित करेगें जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो, साथही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजपत्रित / ट्रेनिंग / 2009 / 54

दिनांक : 3/2/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5229 दिनांक 17.12.08 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दि० 4.2.09 को सायं प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये कार्य मुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्या. को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबन्धित की वेबसाइट पर तुरन्त उलवाने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।



अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,